प्रकरण संख्या 10/2015 लालू बनाम नारिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरोदिया में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 10 रकबा 2.0300 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदारी में अंकित हो गयी है, जबकि वादी मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के दादा मानिया पिता देवजी के खातेदारी की होने से उसमें वादिया का भी हक हिस्सा है। अतः प्रतिवादीगणों के साथ वादी को भी खातेदार घोषित किया जावे तथा 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियात कायम की गयी एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13.05.2014 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.03.2015 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खतौनी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट सन 1938–39 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जो राजस्व रेकार्ड की सत्य प्रतियां होने से रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जबकि जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 की जमाबन्दी की मात्र फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो अप्रमाणित होने से रिकार्ड पर नहीं ली जा सकती। अपील के साथ आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने मानिया पिता देवजी	

के अन्य पुत्रों व उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः उन्हें पक्षकार बनाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि वाद/अपील में प्रस्तुत सजरे में मानिया पिता देव जी के 5 पुत्र भाणिया, द्वितीया, रकबा, कानिया व धारजी बताया है, जबकि सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः न्यायहित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर भाणीया की मृत्यु होने से के वारिसान रकमिया व उसकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान नारिया व नानका की मृत्यु होने से उसके वारिसान धुलिया, शंकर व लक्ष्मी तथा रकमा की मृत्यु होने से उसके वारिसान विरजी, धनकी व हरजी तथा धारजी की मृत्यु होने से उसके वारिसान इन्दर, गुडिया व हकला को पक्षकार संस्थित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकियात कायम की, किन्तु तनकियों पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है, जो आदेश 20 नियम 5 जा. दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के तहत संस्थित किये गये पक्षकारों को प्रतिवादीगण बनाकर प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:46:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: